8/1/2018 अब पत्र उप०/ जिला रसद अधिकारी धौलपुर के आदेश दिनांक 7.11.17 के अनुसार अप्रार्थी ने राशि जमा कराकर चालान की प्रति पेश की है जो पत्रावली में संलग्न है। अप्रार्थी ने आदेश दिनांक 7/11/2017 के अनुसार राशि 50000 रु. का सुपुर्दगीनामा एवं श्रीमती उषा पत्नी भगवती जाति प्रजापति नि. 28 बदीका ने इतनी ही राशि का जमानतनामा पेश किया। जमानती की पहचान अप्रार्थी के अभिभाषक श्री कुसुमाकर शर्मा ने की। सुपुर्दगीनामा एवं जमानतनामा बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया।

चूंकि अप्रार्थी ने आदेश दिनांक 7.11.2017 की पालना में राशि राजकोष में जमा करा दी है तथा आदेशानुसार सुपुर्दगीनामा एवं जमानतनामा पेश कर दिया है। अतः प्रकरण में जब्तशुदा मोटरसाईकिल RJ-11-SW-8284 को अप्रार्थी दिनेश चन्द को सुपुर्दगी में दिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। थानाधिकारी थाना सैंपऊ को परवाना जारी हो। अप्रार्थी को पाबन्द किया जाता है, जब भी न्यायालय द्वारा उक्त मोटरसाईकिल को पेश करने हेतु निर्देशित किया जावेगा अप्रार्थी मोटरसाईकिल को न्यायालय में उपलब्ध करावेगा। पत्रावली पर अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। पत्रावली फैसल शुमार हो। बादतकमील दाखिल दफ्तर हो। नकल नियमानुसार दे का हो।

11
11/01/2018

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर, धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– शुचि त्यागी, आई.ए.एस., जिला कलक्टर धौलपुर
प्रार्थना पत्र संख्या :– 49/2017
उनवानी प्रकरण :–

राजस्थान सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, धौलपुर———————————प्रार्थी।

बनाम्

दिनेश चंद पुत्र शिवचरण जाति कुम्हार ग्राम बदरिका पंचायत मूसलपुर तहसील सैंपऊ
———————————————————————अप्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए
आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थिति :–
प्रार्थी की ओर से :– श्री अनुभव पराशर, सहायक लोक अभियोजक (प्रथम)।
अप्रार्थी की ओर से :– श्री कुसुमाकर गर्ग अभिभाषक।

निर्णय दिनांकः– 07.11.2017

निर्णय

प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि जिला रसद अधिकारी धौलपुर के पत्रांक रसद/शिका/17/1573 दिनांक 15.06.17 तथा उपखण्डाधिकारी सैंपऊ के मौखिक आदेश अनुसार प्रार्थी जांच हेतु थाना सैंपऊ पर पहुंचा। थानाधिकारी सैंपऊ ने बताया कि ओमवीर परमार एंव तसीमो के अन्य लोगो ने सूचना दी कि एक व्यक्ति राशन डीलर से केरोसिन तेल की कालाबाजारी कर केरोसिन तेल अवैध रूप से ले जा रहा था। महेश कुमार एएसआई को मय जाब्ता मौके पर भेजा गया। पुलिस जाब्ता द्वारा केरोसिन तेल ले जा रहे व्यक्ति को केरोसिन तेल सहित थाना लाया गया तथा तहरीरी रिपोर्ट दी गई। मौके पर अप्रार्थी से केरोसिन के संबध में जांच की गई। मौके पर अप्रार्थी के पास 2 ड्रम नीले केरोसिन से भरे पाये गये। प्रत्येक की क्षमता 50 लीटर तथा ड्रम नीले रंग पाये गये। ड्रम खोलकर देखने पर ड्रमो में केरोसिन तेल भरा पाया गया। प्रथम दृष्टया केरोसिन तेल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत अनुदानित दर पर वितरण करने वाला पाया गया। केरोसिन के क्रय–विक्रय एंव भण्डारण के संबध में कोई अनुज्ञापत्र एंव प्राधिकार पत्र अप्रार्थी ने प्रस्तुत नही किये। अप्रार्थी के पास मोटरसाइकिल

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर
धौलपुर

आर.जे. 11 8284 रंग काला मय लाल पट्टी, कम्पनी हीरो होण्डा पाई गई, जिसके कागजात
अप्रार्थी ने प्रस्तुत नही किये। उक्त मोटरसाइकिल कालाबाजारी हेतु काम में लिया जाना
बताया। अप्रार्थी ने केरोसीन तेल के संबध में कोई संतोषजनक जवाब नही दिया। बिना
प्राधिकारी/अनुज्ञापत्र के अबैध रूप से अप्रार्थी द्वारा केरोसीन का कालाबाजारी करना "
केरोसीन (उपयोग एंव निर्बन्धन और अधिकतम कीमत नियन्त्रण) आदेश 1993" एंव "राजस्थान
खाद्यान्न एंव आवश्यक पदार्थ (वितरण एंव विनियमन) आदेश 1976" के प्रावधानो का उल्लघंन
है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः
प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के कब्जे से 2 ड्रम नीले केरोसीन के जिनमें 100 लीटर तेल भरा हुआ था
तथा मोटरसाईकिल आर.जे.–11 8284 रंग काला मय लाल पट्टी, कम्पनी हीरो होण्डा को
जब्त किया गया। केरोसीन तेल से 750–750 एमएल के 3 सैम्पल जांच हेतु लिये गये। जब्त
किया गया 97.750 लीटर केरोसीन तेल मय 2 ड्रम को सुरक्षित रखने हेतु विष्णुकुमार उ0मू0
दुकानदार ग्राम पंचायत तसीमो 1/3 भाग तहसील सैंपऊ एंव मोटरसाइकिल को ओमेन्द्रसिंह
थानाधिकारी सैंपऊ को सुपुर्दगी में दिया। फर्द जब्तीनामा, सुपुर्दगीनामा तथा फर्द मौका तैयार
किये गये। अतः जब्तशुदा केरोसीन तेल एंव मोटरसाइकिल को राजसात किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस इस आशय का जारी किया गया कि उसे इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो असालतन व वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें ।

अप्रार्थी की ओर से श्री कुसुमाकर गर्ग अभिभाषक ने अपना वकालतनामा पेश कर नोटिस का जबाव पेश किया गया जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी से कोई केरोसीन जब्त नही हुआ है अप्रार्थी को झूठा फंसाया गया है। जब्तशुदा केरोसीन पर अप्रार्थी का कोई लेना देना नही है। जब्तशुदा मोटरसाइकिल का अप्रार्थी रजिस्टर्ड स्वामी एंव आधिपत्यधारी है। अप्रार्थी आरी गांव जा रहा था अप्रार्थी राशन डीलर कृष्ण कुमार लवानियां की दुकान के आगे से निकल रहा था तो राशन डीलर ने अप्रार्थी को बुला लिया और बात करने लगा। तभी कुछ गांव वालो ने अप्रार्थी को पकड लिया तथा बाद में पुलिस आ गई और अप्रार्थी की मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया। मोटरसाइकिल को राजसात नही किया जा सकता है। अतः जवाब स्वीकार किया जाकर जब्तशुदा मोटरसाइकिल को अप्रार्थी को प्रदान किया जावें।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण, सुपर्दगीनामा की प्रति पेश की ।

अप्रार्थी ने जवाब के समर्थन में छाया प्रति ड्राइविंग लाइसेन्स, मोटरसाइकिल बीमा की प्रति पेश की ।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों की वहस सुनी गई । प्रार्थी की ओर से सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी ने अपनी वहस में कथन किया कि दिनांक 15.06.2017 को

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर
धौलपुर

[illegible] 2 ड्रमो में कुल 100 लीटर केरोसिन तेल एंव मोटरसाइकिल आर.जे. 11 8284 रंग [illegible] मय लाल पट्टी, कम्पनी हीरो होण्डा को जब्त किया गया। केरोसिन तेल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत अनुदानित दर पर वितरण करने वाला पाया गया। केरोसिन के क्रय–विक्रय एंव भण्डारण के संबध में कोई अनुज्ञापत्र एंव प्राधिकार पत्र अप्रार्थी ने प्रस्तुत नही किया। अप्रार्थी के पास मोटरसाइकिल आर.जे. 11 8284 रंग काला मय लाल पट्टी, कम्पनी हीरो होण्डा पाई गई, जिसके कागजात अप्रार्थी ने प्रस्तुत नही किये। उक्त मोटरसाइकिल केरोसिन तेल की कालाबाजारी हेतु काम में ली जा रही थी। अप्रार्थी ने केरोसिन तेल के संबध में कोई संतोषजनक जवाब नही दिया। बिना प्राधिकार/अनुज्ञापत्र के अबैध रूप से अप्रार्थी द्वारा केरोसिन का कालाबाजारी करना आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः अप्रार्थी से जब्तशुदा केरोसिन तेल एंव मोटरसाइकिल को राजसात किये जाने के आदेश दिये जावे।

अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी वहस के दौरान जवाब में अंकित तथ्यो को दौहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी का जब्तशुदा केरोसिन तेल से कोई लेना देना नही है। अप्रार्थी आरी गांव जा रहा था अप्रार्थी राशन डीलर कृष्ण कुमार लवानियां की दुकान के आगे से निकल रहा था तो राशन डीलर ने अप्रार्थी को बुला लिया और बात करने लगा। तभी कुछ गांव वालो ने अप्रार्थी को पकड लिया तथा बाद में पुलिस आ गई और अप्रार्थी की मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया। अप्रार्थी को झूठा फंसाया गया है। अप्रार्थी जब्तशुदा मोटरसाइकिल का रजिस्टर्ड स्वामी एंव आधिपत्यधारी है। अतः मोटरसाइकिल को अप्रार्थी की सुपुर्दगी में दिया जावें।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों की वहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि :–

1. अप्रार्थी राशन डीलर से केरोसिन तेल की कालाबाजारी कर केरोसिन तेल अवैध रूप से ले जा रहा था। पुलिस द्वारा मौके पर अप्रार्थी से 2 ड्रम नीले केरोसिन से भरे पाये गये। केरोसिन तेल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत अनुदानित दर पर वितरण करने वाला पाया गया।
2. अप्रार्थी द्वारा केरोसिन के क्रय–विक्रय एंव भण्डारण के संबध में कोई अनुज्ञापत्र एंव प्राधिकार पत्र प्रस्तुत नही किया। इससे यह सिद्व होता है कि अप्रार्थी द्वारा कैरोसिन कालाबाजारी हेतु ले जाया जा रहा था ।
3. बिना प्राधिकार/अनुज्ञापत्र के अबैध रूप से अप्रार्थी द्वारा केरोसिन का कालाबाजारी करना आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है।
4. अप्रार्थी के पास मोटरसाइकिल आर.जे. 11 8284 रंग काला मय लाल पट्टी, कम्पनी हीरो होण्डा पाई गई। उक्त मोटरसाइकिल केरोसिन तेल की कालाबाजारी हेतु काम में ली जा रही थी।
5. अप्रार्थी का यह कथन कि जब्तशुदा केरोसिन तेल से उसका कोई लेना देना नही है। जबकि केरोसिन तेल अप्रार्थी से जब्त किया गया है, इस तथ्य को सिद्ध करता है कि जब्तशुदा कैरोसिन अप्रार्थी द्वारा कालाबाजारी हेतु ले जाया जा रहा था ।

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर
धौलपुर

अप्रार्थी मोटरसाइकिल आर.जे. 11–एसजी–8284 कम्पनी हीरो होण्डा का रजिस्टर्ड स्वामी है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना एवं जब्तशुदा 97.750 लीटर केरोसिन तेल मय 2 ड्रम को राजसात किया जाना उचित समझते है।

अप्रार्थी यदि जब्तशुदा माल केरोसिन 97.750 लीटर केरोसिन तेल के प्रचलित बाजार मूल्य के बराबर राशि राजकोष में जमा करा दे एवं 50000/– के जमानत नामा पेश करदे तो जब्तशुदा मोटरसाइकिल आर.जे. 11–एसजी–8284 कम्पनी हीरो होण्डा को अप्रार्थी की सुपुर्दगी में दिया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण में जब्तशुदा माल 97.750 लीटर केरोसिन तेल मय 2 ड्रम को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी धौलपुर को निर्देश दिये जाते है, कि वे उक्त जब्तशुदा 97.750 लीटर केरोसिन को अन्य किसी उचित मूल्य दुकानदार से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण करावे तथा 97.750 लीटर केरोसिन उसके मासिक कोटे में से कम करके दिया जावे ।

अप्रार्थी जब्तशुदा माल केरोसिन 97.750 लीटर केरोसिन तेल के प्रचलित बाजार मूल्य के बराबर राशि राजकोष में जमा करा दे एवं 50000/–रूपये के जमानतनामा पेश करदे तो मोटरसाइकिल को सुपुर्दगी में दिया जावे। जिला रसद अधिकारी अप्रार्थी से प्राप्त राशि को जरिये चालान राजकोष में जमा कराकर चालान की एक प्रति अप्रार्थी को देते हुए एक प्रति इस न्यायालय में पेश करें। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी धौलपुर को भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनॉक 07.11.2017 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर, धौलपुर
धौलपुर